REGN. NO. 46818(M)

DATED 29.09.2014

Kendriya Vihar-II Apartment Owners' Association

Community Centre-1, Kendriya Vihar-II, Plot No.3, Sector-82, **Noida-201304, U.P.**

(Website: www.noidakv2.com ; E-mail: noidakv2@gmail.com/noidakv2@yahoo.com ; Tel: 0120-4984693)

GSTN 09AAAK5568N1Z0

No.KV-II/Admin/2025-26/ 418 Dated: 09.02.2025

To
The Police Commissioner,
Gautam Budha Nagar
Gautam Budha Nagar, Uttar Pradesh

Subject: Information on baseless allegations levied against the BoM members of Kendriya Vihar, Sector 82, Noida.

Madam,

As Secretary to the Apartment Owners Association, Kendriya Vihar 2, Sector 82, Noida, I would like to bring to your kind notice the baseless allegations being made against the BoM members of this association by a bunch of residents. I am attaching a written letter submitted to Assistant Director, Vidyut Suraksha by Shri Manoj Kumar, Shri O P Parmar, Shri S D Chaudhary and 21 other members. This society is having 2,276 flats and these 24 persons do not represent the views of majority of this society.

2. We are submitting response on the technical aspects of the lifts to the concerned authorities and your intervention is requested on the allegations contained in point no. (3) (copy enclosed) where in it has been stated that the BoM members have taken money from ECE (Birla Group) for giving lift contact to the company and it has also been stated that the company has deposited huge amount in the bank account of President.

3. These statements are an attempt of character assassination of all of us and are causing mental harassment. We are pained seeing these allegations and going through deep agony. I request you to treat this letter as First Information Report (FIR) and take appropriate action against the signatories of this letter for making incorrect, baseless and fabricated statements against the BoM members who are rendering voluntary service to this society with full dedication and transparency.

4. The matter is serious and your early action on the same is requested.

Thanking you

R Sharma 09/02/25

(Ramesh Sharma)
Secretary, BoM, AOA.

Copy to: DCP Central Noida.

O/C

10/2

हम केन्द्रीय विहार-2 के निवासी बयान करते हैं कि,

1. केन्द्रीय विहार-2 एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, जिसका निर्माण केन्द्र सरकार के अधीन CGEWHO द्वारा केन्द्रीय सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के लिए किया गया है। सोसाइटी के 120 ब्लाकों में दुनिया की सर्वोत्तम लिफ्टें, 96 ओटिस कंपनी और 24 थाइसनक्रुप कंपनी की लगी हैं, जो महज 15-20 साल पुरानी हैं और सभी चालू अवस्था में हैं, जिन्हें बदल कर सोसाइटी के प्रबंधन बोर्ड द्वारा अब तीसरे दर्जे की ईसीई कंपनी की घटिया लिफ्टें लगाई जा रही हैं।

2. पुरानी सभी लिफ्टें serviceable हैं तथा चालू अवस्था में हैं। इनकी निर्माता कंपनियों अथवा किसी सरकारी संस्था से Unserviceable certificate लिए बिना ही सभी लिफ्टों को बदला जा रहा है।

3. लिफ्टों को बदलने के लिए प्रबंधन बोर्ड द्वारा दो बोली प्रणाली में निविदाएं आमंत्रित की गई, अक्तूबर 2023 में। कुल चार निविदाएं प्राप्त हुईं, जिसमें Johnson कंपनी की निविदा उनके द्वारा EMD जमा नहीं कराने के कारण नहीं खोली गई। बाकी बची 3 निविदाओं में से निम्नतम बोलीदाता को छोड़ कर द्वितीय निविदाकार, ईसीई कंपनी, को निम्नतम बोलीदाता से लगभग 5 करोड़ रुपए अधिक में कार्य अवार्ड कर दिया गया। हम सभी निवासियों को संदेह है कि प्रबंधन बोर्ड द्वारा इस कार्य को अवार्ड करने के लिए ईसीई कंपनी (बिरला ग्रुप) से भारी-भरकम कमीशन/रिश्वत ली गई है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्षा के सोसाइटी में स्थित भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए खाते में भी बिरला ग्रुप द्वारा बड़ी धनराशि Transfer की गई है, जिसकी जाँच करना अति आवश्यक है।

4. प्रबंधन बोर्ड ने दिनांक 03-12-2023 को की गई अपनी 15 वीं मीटिंग में पहले यह तय किया कि सभी निविदाओं को विशेष आम सभा के समक्ष अन्तिम निर्णय लेने हेतु रखा जाएगा। परन्तु आश्चर्यजनक रूप से दिनांक 16-12-2023 को की गई अपनी 16 वीं मीटिंग में लिफ्ट कमेटी की अनुशंसा पर द्वितीय निविदाकार, ईसीई कंपनी, को कार्य अवार्ड करने हेतु अपनी मुहर लगा दी तथा चालाकी से मामले को विशेष आम सभा में अन्तिम निर्णय के लिए ले जाना तय किया। जबकि विशेष आम सभा को भी यह अधिकार नहीं है कि वह नियम और कानून से ऊपर उठ कर काम करे। सोसाइटी के बाइ-लाज के अनुसार प्रबंधन बोर्ड के 10 सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य कमेटी का प्रावधान नहीं है। प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिफ्ट कमेटी का गठन नियमों से हट कर केवल खानापूर्ति और अपने गलत निर्णयों पर परदा डालने के उद्देश्य से किया गया।

5. दिनांक 24-12-2023 को विशेष आम सभा बुलाई गई, जिसमें कुल 2276 सदस्यों में से केवल 157 सदस्य उपस्थित दिखाए गए। विशेष आम सभा में बाइसनक्रप की 24 स्वचालित दरवाजों सहित लिफ्टों को भी बदलने का निर्णय लिया गया, जबकि प्रबंधन बोर्ड पहले ही अक्तूबर 2023 में इनके लिए भी निविदाएं आमंत्रित कर चुका था। विशेष आम सभा में बहुत से सदस्यों ने कार्य हेतु निविदाएं दुबारा से आमंत्रित करने के लिए कहा, क्योंकि प्रथम और द्वितीय निविदाओं में अन्तर बहुत ज्यादा लगभग 5 करोड़ रुपए का था। परन्तु, प्रबंधन बोर्ड ने उन सदस्यों को अनसुना कर दिया तथा पहले से तय अपने निर्णय में बलपूर्वक विशेष आम सभा की मुहर लगा ली। सोसाइटी के एक जागरूक सदस्य ने इसकी शिकायत डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार सोसाइटीज, जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त को की, जिस पर कार्यवाही करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय ने दिनांक 05-02-2024 को एक पत्र डिप्टी रजिस्ट्रार को प्रेषित किया, जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय ने कोई कार्यवाही नहीं की।

6. ईसीई कंपनी को माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश द्वारा मई 2023 में दिए गए आदेशों के अनुसार ब्लैक लिस्ट ठहराया गया है। यह सूचना प्रबंधन बोर्ड द्वारा दिनांक 24-12-2023 को आयोजित विशेष आम सभा से छुपा ली गई।

7. ईसीई कंपनी द्वारा लगाई जा रही लिफ्टें घटिया क्वालिटी की हैं तथा पुरानी लिफ्टों के मुकाबले बहुत ही हल्का माल लगाया जा रहा है। लिफ्टों में जंग लगा सामान लगाया जा रहा है, मोटर बहुत ही हल्की क्वालिटि की, जो कि SHARP कंपनी की है और BIS certified नहीं है। अन्य सामान भी sub-standard लगाया जा रहा है। जो लिफ्ट 5 यात्रियों के लिए है, उसमें 3 व्यक्ति से अधिक नहीं आ सकते। नई लगाई जा रही लिफ्टें दिव्यांग अनुकूल भी नहीं हैं। इनमें व्हीलचेयर के साथ एक सहायक के खड़े होने की जगह भी नहीं है।

8. ईसीई कंपनी द्वारा लगाई जा रही नई लिफ्टों में शुरुआत से ही शिकायतें आ रही हैं, निवासी इनका उपयोग करने में डर रहे हैं।

9. ईसीई कंपनी द्वारा लिफ्ट बदलने का कार्य उत्तर प्रदेश लिफ्ट एवं एस्केलेटर्स एक्ट 2024 के नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है।

10. ईसीई कंपनी द्वारा नई लगाई जा रही लिफ्टों को किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा जारी सुरक्षा प्रमाण-पत्र हासिल किए बिना ही चालू किया गया है, जो कि सोसाइटी के निवासियों की जान से खिलवाड़ करने की अनुचित कार्यवाही है।

11. ईसीईई कंपनी द्वारा लगाई जा रही नई लिफ्टों की खराब गुणवत्ता को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही है कि भविष्य में इन लिफ्टों के कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता है।

12. माननीय न्यायालय उपजिलाधिकारी (न्यायिक) दादरी के आदेश दिनांक 17-01-2025 द्वारा प्रबंधन बोर्ड का दिनांक 25-02-2024 को किया गया चुनाव निरस्त कर दिया गया है, जो कि ओटिस जैसी कंपनी की चालू लिफ्टों को ईसीईई जैसे तीसरे दर्जे के लिफ्ट निर्माता से बदलने का इतनी जल्दबाजी में निर्णय लेने का दोषी है।

उपरोक्तानुसार, हम सभी निवासी यह मांग करते हैं कि सभी 120 लिफ्टों को बदलने के कार्य में की गई बड़ी धांधली के लिए जिम्मेदार प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों तथा इनके साथ मिली-भगत कर घटिया लिफ्टों को लगाने वाली ईसीईई कंपनी के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज कर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त तीसरे दर्जे की ईसीईई कंपनी के स्थान पर किसी प्रथम दर्जे की कंपनी की लिफ्टें लगाने की कृपा करें, ताकि सोसाइटी के निवासियों के साथ-साथ अन्य उपयोग कर्ताओं की भी जान माल की सुरक्षा हो सके।

क्रम सं	नाम	फ्लैट सं॰	मो॰नं॰	हस्ताक्षर
1.	मनोज कुमार	सी-224, पाकेट-7	8377848747	[signature]
2-	[illegible]	सी-1-5 पाकेट-7	9818366733	[signature]
3-	NISHANT TYAGI	C-48 POCKET-7	9971580044	[signature]
4.	KAPIL MADAAN	C-8 POCKET-1	9910095544	[signature]
5	RADHEY SHARMA	B-5, P-1	9717454772	[signature]
6.	S. D. Choudhury	B-243, P-1	9810632961	[signature]
7	डॉ॰ रमेश चन्द्र उपाध्याय	C-4/II	9873288903	[signature]
8	R.K.VARMA		9868142232	[signature]
9	Inder M. Kaushal	B-235/1	9810072987	[signature]
10	HIMMAT HAITHAHI	B-44/1	9990925111	[signature]
11	Om Parkash Parmar	B-269/2	9971385119	[signature]
12.	अरविन्द कुमार भाटिया	C-42/P-7	9999244384	[signature]
13.	देवेन्द्र कुमार सिंह	B-13/P-4	9953881011	[signature]
14.	देवा दीपक यादव	B-14/P-4	7703918400	[signature]
15.	रिंकू सिंह	B-10/P-4	9311406144	[signature]

क्र.सं.	नाम	फ्लैट सं.	मो.नं.	हस्ताक्षर
16.	श्यामा प्रसाद दत्ता	बी-236/ए-1	9810721167	[illegible]
17.	लाजपत राय मल्होत्रा	बी-10/1	9811660621	[illegible]
18.	DR. MOHD. AZEEM KHAN	B-204/I	9911393796	Mohd Azeem K
19.	Amar Sarin	B-53/1	9873056969	A Sarin
20.	PRABIR BHATTACHARYA	C-179/7	9870567094	Bhattacharya
21.	B.K. Gupta	C-54/2	9650995004	[illegible]
22.	Balraj Singh	C-126/1	8130388311	B Singh
23.	Sunil Sharma	B-162/1	9868899045	[illegible]
24.	Gurmeet Singh	C-6/I	9818712718	G. Singh